<u>In the Court of Fast Track-II</u>

<u>S.T No. 696/2015</u>

<u>06.03.2020</u> ***<u>आदेश</u>***

अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। दोनों अभियुक्तों के तरफ से 317 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रतिनिधित्व किया गया, जिसे आज के लिए स्वीकृत किया जाता है।

दि0. 22.01.2020 को दिपक कुमार सिंह के तरफ से एक आवेदन अंतर्गत धारा– 227 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दाखिल कर यह निवेदन किया गया है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य नहीं पाया था तथा अभियुक्त घटना के दिन घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, बल्कि कमांडर जीप लेकर एक बारात में गया था और घटना के दूसरे दिन वह अपने घर वापस आया। पुलिस द्वारा आवेदनकर्ता को निर्दोष दिखाते हुए आरोप–पत्र दाखिल किया गया था, परंतु निम्न न्यायालय ने अभियुक्त के विरूद्ध भी बिना उचित कारण दिखाते हुए संज्ञान ले लिए। इनका यह भी कथन है कि इस अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, ऐसी स्थिति में इस आवेदनकर्ता को इस वाद से मुक्त किया जाय।

अपर लोक अभियोजक के तरफ से कोई प्रतिउत्तर नहीं दाखिल किया गया है,परंतु उनके द्वारा मौखिक विरोध किया गया है।

मैंने उभय पक्ष का बहस सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस अभियुक्त के विरूद्ध दि0. 02. 04.2015 को विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया है तथा इस वाद की सूचक शनिचरी देवी ने अपने फर्दब्यान में स्पष्ट रूप से कही है कि जमीन को लेकर विवाद था और उसी विवाद को लेकर मेरे लड़का को निलेश कुमार सिंह एवं उसका भाई दिपक कुमार सिंह मिलकर हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को बाग में फेंक दिया है, साथ ही साथ इस अभिलेख में अभी कोई नया साक्ष्य एवं तथ्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्त को आरोप से मुक्त किया जा सके। बचाव पक्ष के द्वारा रूलिंग दाखिल किया गया है जो श्रीधर प्रसाद बनाम बिहार सरकार है।

उपरोक्त सभी तथ्यों एवं विश्लेषण के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अभियुक्त दिपक कुमार सिंह द्वारा दाखिल आवेदन अंतर्गत धारा– 227 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत कोई बल नहीं है, ऐसी स्थिति में इनका आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

FTC-II